

प्रेषक,

वित्त नियन्त्रक,  
पशुपालन विभाग,  
उ०प्र०, लखनऊ।

सेवा में,

प्रक्षेत्र प्रबन्धक,  
राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र,  
नीलगाँव-सीतापुर।

संख्या-

/बजट/29(5)/अनु०-83/01(रा)/RKVY/2018-19

दिनांक 19-12-18

विषय-

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये आय-व्ययक में प्राविधानि धनराशि के सापेक्ष पशुपालन विभाग की परियोजनाओं के संचालन हेतु धनराशि का ऑवटन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक कृषि अनुभाग-3 के शासनादेश सं०-1001(1)/12-3-2018-100(07)/2016टीसी.दि 13 नवम्बर, 2018 द्वारा पशुपालन विभाग के अन्तर्गत संचालित पूँजीगत परियोजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में निम्नलिखित विवरणानुसार निदेशक, रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र के पत्र सं०-2296/प०-2/आर.के.वी.वाई./31(15)च/2018-19, दि० 13-12-2018 द्वारा दिये गये प्रस्तावानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए योजना के सफल संचालन हेतु Alloment Grid Report उल्लिखित धनराशि आपको निम्नलिखित शर्तों के अधीन व्यय हेतु ऑवटित की जाती है। शर्तों से विचलन की दशा में आप स्व उत्तरदायी होंगे।

(धनराशि ₹०में)

कार्यक्रम का नाम	आहरण वितरण अधिकारी	मानक मद	ऑवटित धनराशि
Strengthening and modernization of Govt. Livestock farm at Neelgaon Sitapur	प्रक्षेत्र प्रबन्धक, राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र, नीलगाँव-सीतापुर	42-अन्य व्यय	₹० 15992000.00

- ऑवटित की जा रही धनराशि का आहरण नियमानुसार किया जायेगा उक्त लेखाशीर्षक में पूर्व में अवमुक्त धनराशि व उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराने के उपरान्त ही ऑवटित धनराशि का व्यय किया जायेगा।
- ऑवटित की जा रही धनराशि का ऑवटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है जिन मामलों उ०प्र० बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य समक्ष प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। केन्द्र पोषित, बाह्य सहायित तथा राज्य/जिला सेक्टर जिसमें राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी व किसी प्रकार (Cash or Kind) की सब्सिडी/सहायक अनुदान(गैरवैतन) दिया जाना है। ऐसी सभी योजनाओं/कार्यक्रमों लाभार्थी की संख्या व पात्रता तथा उसे दी जाने वाली धनराशि आदि के संबंध में शा०सं-3497/123-2012-100(70)/2012, दिनांक 7-11-2012 के अनुपालन में मा० मुख्यमन्त्रीजी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।
- निदेशक, पशुपालन विभाग द्वारा ऑवटित धनराशि वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप.संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30-3-2015 के संगत प्राविधान के अनुसार आहरित कर प्रश्नगत परियोजना यथ Strengthening and modernization of Govt. Livestock farm at Neelgaon Sitapur हेतु उ०प्र०आवास विकास विषयक को उपलब्ध कराई जायेगी।
- ऑवटित की जा रही उक्त धनराशि का उपयोग योजना की मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित एस. एल.एस.सं द्वारा अनुमोदित परियोजना प्रस्ताव/अनुमोदित कार्ययोजना के अनुरूप भारत सरकार के दिशा-निर्देशों/गाइड लाईन्स ए संगत नियमों के अनुसार सुनिश्चित किया जाये तथा धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जाये जिस मद के लि धनराशि स्वीकृत की गई है तथा आय-व्ययक में प्राविधानित है किसी अन्य भिन्न मद में न ही इसका व्यय किया जाये औ न ही एक मद से दूसरे मद में इसका डायवर्जन किया जाये। यदि किसी मद में व्यय करने की अनुमति भारत सरकार द्वारा कार्य योजना में प्राप्त न हो तो उसकी सूचना शासन में उपलब्ध कराई जाये। योजनान्तर्गत धनराशि का उपयोग योजना की कार्ययोजना में अनुमोदित भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप ही किया जायेगा।
- योजनान्तर्गत व्यय की जाने वाली उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर राज्य नोडल अधिकारी व उपलब्ध कराया जाय। विभिन्न घटकों के अन्तर्गत कराये गये कार्यों की मासिक आधार पर भौतिक/वित्तीय प्रगति रिपोर्ट राज्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराई जायेगी साथ ही निदेशक, पशुपालन विभाग, उ०प्र० द्वारा यह भी सुनिश्चित किर जायेगा उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो।
- उक्त ऑवटित धनराशि का समय पर सदुपयोग एवं उपभोग आगामी समय सारिणी बनाकर सुनिश्चित कराया जायेगा।
- ऑवटित की जा रही धनराशि से सम्भावित व्यय की फेजिंग कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार की जाय। जहाँ तब सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय। आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय ऑवटित धनराशि व आहरण एकमुश्त न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड प्रबन्धन(कैश मैनेजमेंट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा अनावश्यक रूप से बैंकों में खाता खोलकर धनराशि जमा करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है शासन की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर कोई भी धनराशि बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी यदि ऐसा प्रकरण शासन के संज्ञा में आता है तो इसे गम्भीर वित्तीय अनियमितता मानते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- ऑवटित की जा रही धनराशि के व्यय पर नियन्त्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06-06-1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किर जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ०प्र० बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टेण्डर्ड्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोफ़र्टी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

- (9) आहरण वितरण अधिकारी ऑवटित धनराशि से जनता के बीच योजनाओं का प्रचार एवं प्रसार सुनिश्चित किया जाय। उक्त योजना का पूरा विवरण वेवसाइड पर उपलब्ध कराया जायेगा। योजना का Impact assessment कराया जायेगा और उसका समुचित फीडबैक दिया जायेगा। योजना के कार्य पूर्ण हो जाने पर योजना के कार्यों की पूर्णता का पूरा विवरण नोडल अधिकारी, मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाय।
- (10) वित्त लेखानुभाग-1 के शासनादेश सं०-ए-1-285/दस-2012-10(29)/2011टी0सी0-11, दि० 29 मई, 2012 द्वारा समस्त भुगतान NEFT/RTGS के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली लाभार्थी के खाते में सीधे क्रेडिट किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। अतः उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान तदनुसार सुनिश्चित किया जाय। भारत सरकार के पत्र सं०-1-11011/58/2013-डी.बी.टी., दिनांक 25-2-2015 द्वारा डायरेक्ट बेंनीफिट ट्रांसफर (डी.बी.टी.) के अन्तर्गत नकद धनराशि व्यक्तिगत लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर किये जाने का निर्देश दिया गया है। अतः ऑवटित धनराशि का तदनुसार भुगतान सुनिश्चित किया जाये।
- (11) उक्त ऑवटित धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अनुसार व्यय करने का उत्तरदायित्व निदेशक, पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ का होगा।
- (12) उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान सं०-83 के अधीन लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म -789-अनुभूषित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-0203-पशुपालन की योजनाएँ (के.60/रा.40-के.+रा.) के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।
- (13) ऑवटित की जा रही धनराशि की प्रविष्टि ऑवटन पंजिका के क्रम संख्या-01 (अनुदान-83) पर अंकित कर ली गई है।

**सलग्नक: यथापरि।**

भवदीय,

(नरेन्द्र प्रताप सिंह)  
वित्त नियन्त्रक।

संख्या- 1137 / बजट/29(5)/अनु०-83/01(रा.)/RKVY/2018-19, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, सीतापुर।
- (2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी-1)/लेखानुभाग, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- (3) अनुसचिव, उत्तर प्रदेश शासन, कृषि अनुभाग-3, सचिवालय, लखनऊ।
- (4) अनुसचिव, पशुधन अनुभाग-2, उ०प्र० शासन, सचिवालय, लखनऊ।
- (5) निदेशक, रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- (6) उप निदेशक (प्रक्षेत्र) पशुपालन विभाग, महानगर, लखनऊ।
- (7) योजनाधिकारी अपर निदेशक (गो०वि००)/नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, मु० को निदेशक, रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र के पत्र सं०-2296/प०-2/आर.के.वी.वाई./31(15)च/2018-19, दि० 13-12-2018 में दिये गये आवंटन प्रस्ताव के अनुसार धनराशि का ऑवटन संबंधित को किया जा रहा है। कृपया व्यय संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश संबंधित आ०वि० अधिकारी को अपने स्तर से देने का कष्ट करें तथा व्यय उपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र राज्य नोडल अधिकारी/संयुक्त निदेशक (नियोजन), मुख्यालय को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- (8) संयुक्त निदेशक (नियोजन), मुख्यालय।
- (9) कम्प्यूटर आपरेटर, मु० को इस आशय से प्रेषित कि उक्त ऑवटन को विभागीय वेवसाइड पर फीड करने का कष्ट करें।
- (10) व्यय सहायक, बजट अनुभाग, मुख्यालय।

(नरेन्द्र प्रताप सिंह)  
वित्त नियन्त्रक।

अक्षर

## Print Report

### Allotment Grid Report


वित्तीय वर्ष:-2018-2019  
आवंटन दिनांक-19/12/2018

प्रेषण संख्या:- 1137  
आवंटन आदेश संख्या:- 006-29-5-AUN-83-01-R-RKVY-2018-19  
अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)  
(वित्तीय वर्ष 2018-2019 का आवंटन)  
लेखाशीर्षक:- 2401 - फसल कृषि कर्म(आयोजनेत्तर-मतदेय)  
789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना  
02 - राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.60/रा.40-के.+रा.)  
03 - पशुपालन की योजनायें (के.60/रा.40-के.+रा.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	सीतापुर-2294-मु0त0अ0-प्र0 प्रब0-अधी-0 रा0पशु0एवं कृषि प्र0 , --01--	वर्तमान	15992000	15992000
		प्रगामी	15992000	15992000
	योग	वर्तमान	15992000	15992000
		प्रगामी	15992000	15992000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ उनसठ लाख बानवे हजार  
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक करोड़ उनसठ लाख बानवे हजार

  
(नरेन्द्र प्रताप सिंह)  
वित्त नियंत्रक  
१९/१२